कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था–डीपीसी/ प्रभाग–2 /प्राचार्य / 2022–23 ( ) दिनांक 31.03.2023 द्वारा राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के नियम 31(ख) के प्रावधानान्तर्गत प्राचार्य एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.03.2023 के द्वारा की गई अनुशंषानुसार उप प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों को प्राचार्य एवं समकक्ष पद (अनुसूची–1) पर पे–मैट्रिक्स लेवल–16 में डीपीसी वर्ष 2022–23 के लिए निम्नांकित कार्मिको के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण इनका चयन संबंधी निर्णय बंद लिफाफे में रखा गया था।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/ संस्था–डीपीसी /प्रभाग–2 /प्राचार्य /2022–23 दिनांक 09.05.2023 द्वारा निम्नांकित कार्मिको के विरूद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त किए जाने के फलस्वरूप इनके चयन संबंधी निर्णय का बन्द लिफाफा खोला जाकर, इनके नाम के सामने कॉलम 10 में अंकित चयन तिथि द्वारा प्राचार्य उमावि एवं समकक्ष (अनुसूची–I) पद पर चयन किया गया :–

क्र. स.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक मय पद	जन्म तिथि	लिंग	वर्ग	डीपीसी वर्ष	चयन वर्ग	चयन तिथि
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	1795	2022-23	Shobha	26-01-1982	F	-	2022-23	UR	01-08-2022

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशो तक यथावत कार्यरत रहेगें एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेगें। पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जाएगें।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी1–बी2/प्राचार्य/डीपीसी पदस्थापन/2022–23/2023/E-06062 दिनांक :– 11-05-2023

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
8. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
9. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
11. अनुभाग अधिकारी डीपीसी अनुभाग कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली।

सयुंक्त निदेशक (कार्मिक)

Rajasthan Education Department